आदेश पत्रक

न्यायालय - उपजिलाधिकारी
मण्डल : आजमगढ़, जनपद : आजमगढ़, तहसील : लालगंज
वाद संख्या - 02183/2020
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या - T202015050402183
रामराजी महराजी स्मारक जनसेवा न्यास ट्रस्टी ऋषिदेव बनाम गाँवसभा आदि
अंतर्गत धारा - 80, अधिनियम - उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद रामराजी महराजी स्मारक जनसेवा न्यास ग्राम भतरचकभवतर द्वारा मुख्य ट्रस्टी ऋषिदेव पुत्र पंचदेव ग्राम भतरचकभतर परगना बेलादौलताबाद तहसील लालगंज आजमगढ़ द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 80 रा०सं० 2006 बाबत आ०नं० 591 रकबा 0.921हे० में से रकबा0 2590हे० व आ० नं० 588 रकबा 0.6110 हे० स्थित मौजा भवतरचकभतर परगना बेलादौलताबाद दाखिल हुआ। पत्रावली पर तहसीलदार लालगंज से जाँचकर आख्या मंगाई गई। तहसीदार लालगंज द्वारा मौके की जाँचकर अपनी जाँच आख्या न्यायालय में प्रस्तुत की गई। तहसीलदार लालगंज द्वारा अपनी जाँच आख्या दि० 01/07/2020 में उल्लेख किया गया कि आ०नं० 591 रकबा 0.2590 हे० व आ० नं०588 रकबा 0.6110हे० कुल दो गाटा रकबा 0.8127 पर वादी रामराजी महराजी स्मारक जनसेवा न्यास ग्राम भतरचकभवतर द्वारा मुख्य ट्रस्टी ऋषिदेव पुत्र पंचदेव स्थानीय के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। जिसपर वादी द्वारा उक्त आ०नं० के रकबा0 8700हे० पर विद्यालय का भवन बना रहे है। जो गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है। मौके पर विवादित भूमि जोती बोई नहीं जाती है। जे० ए० आ० प० 41 व 45 में उक्त आ० नं० राज्य सरकार या ग्रामसभा की भूमि नहीं है। इस प्रकार आ०नं० को अकृषिक भूमि व लगान मुक्त घोषित किए जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित न्यायालय में प्रेषित की गई। सहखातेदार तारकेश्वर व वादी की तरफ से शपथपत्र जरिए अधिवक्ता की पहचान पर प्रस्तुत किया गया।

पत्रावली पंजीकृत की गई। तथा वादी द्वारा निर्धारित न्यायशुल्क 47630रु0 व उद्घोषणा शुल्क 47630 रु0 का स्टाम्प पेपर जमा किया गया। वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली पर बहस सुनने एवं उपलब्ध साक्ष्यों व तहसीलदार की आख्या का सम्यक अवलोकन किया गया। विवादित आ०नं० वादी की संक्रमणीय भूमिधरी है। खतौनी में आ० नं० संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है किन्तु मौके पर वादी द्वारा रकबा 0.8700 हे० पर विद्यालय का भवन निर्माण कराया जा रहा है। आ०नं० मौके पर जोती बोई नहीं जाती है बल्कि मौके पर भवन आदि निर्मित हो रहा है। इस प्रकार तहसीलदार की आख्या स्वीकार कर विवादित आ०नं० के रकबा 0.8700हे० को अकृषिक भूमि घोषित करते हुए लगान मुक्त किए जाने में कोई विधिक कठिनाई नहीं है।

आदेश

तहसीलदार लालगंज की आख्या स्वीकार की जाती है। ग्राम भवतरचकभवतर के वर्तमान खतौनी के आ०नं० 591 रकबा 0.2590 हे0 व आ0 न0 588 रकबा 0.6110 हे0 कुल रकबा 0.8700हे0 लगान मु0 29.26रु0 को अकृषिक भूमि घोषित करते हुए लगान मुक्त किया जाता है। आदेश का प्रभाव खातेदार पर नहीं होगा। बाद अनुपालन पत्रावली दा0द0 हो।

04/09/2020

(पंकजकुमार श्रीवास्तव)
उपजिलाधिकारी
लालगंज आजमगढ़।

[redacted] // [redacted] १२४.
[illegible] २०/६/२०
[illegible] // [illegible] २४-८-२०
[illegible] २६-८-२०
[illegible] २६-८-२०

TRUE COPY
READER
26-8-20

पृष्ठ संख्या :